न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : लोकेश कुमार मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 06/2019 राजस्व अपील

1. जयसिंह
2. कैलाश
3. राजू

} पि. मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी राणौली तहसील सिकराय जिला दौसा

अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील सिकराय जिला दौसा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 10.09.2018 सरकार बनाम जयसिंह वगैरा मु.न. 70/2018 अन्तर्गत धारा 91 राज.लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री गोरधन गुर्जर, अधिवक्ता अपीलान्ट्स उपस्थित।
: श्री चन्द्रशेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

:- निर्णय :- दिनांक: 29.03.2019

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट्स नें संवत 2075 में ग्राम राणौली में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 217 रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह पर आवासीय परिसर बनाकर कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.09.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट्स ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट्स को न तो सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट्स के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से संबंधित कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नही है। अपीलान्ट्स द्वारा किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही है। इस बाबत शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 10.09.2018 में से 30 दिन का सिविल कारावास की सजा के दण्ड को निरस्त करने के आदेश । फरमावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट्स नें 2075 में ग्राम राणौली में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 217 रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह पर आवासीय परिसर बनाकर कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट्स अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट्स अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 10.09.2018 को बेदखल कर 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट्स के विरूद्ध भू.राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट्स द्वारा प्रश्नगत राजकीय भूमि पर से कब्जा हटा लिया जाने एवं भविष्य में किसी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जाना व्यक्त किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट्स नें संवत 2075 में ग्राम राणौली में स्थित आराजी भूमि खसरा नं0. 217 रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत शपथ पत्र उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.09.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 29.03.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(लोकेश कुमार मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official